

न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी

राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद
बनाम

अप्रार्थी :- श्री हनुमान पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी मेंहगाव
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956
प्रकरण संख्या 25/18

निर्णय दिनांक 24/01/2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद मेंहगाव के खसरा नम्बर 507 किस्म गै.मु.गोवा में रकबा 0.06 है. भूमि में बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी की स्वयं से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी के वकूलाय दिनांक 22.10.2018 उपस्थित रहे। वकूलाय द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया जो न्यायहित में समय दिया गया। किन्तु वकूलाय समय तारिख पेशी पर अनुपस्थित रहे। तारिख पेशी के बाद अतिक्रमित भूमि के सम्बंध में लिखित जवाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मौजा मेंहगाव के खसरा नम्बर 507 किस्म गै.मु.गोवा में रकबा 0.06 है भूमि पर अतिक्रमण किया है प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5.रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.06 है. भूमि के 0.30 रूपये लगान का 50 गुणा 15/- अक्षरे पन्द्रर रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार परबतसर

2018-19
पत्रावली नम्बर के पृष्ठ सं. 10
पत्रावली नम्बर 15/- 20 की
संख्या है।

न्यायालय तहसीलदार परबतसर